प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 21/2009

आवेदक : दीपक शर्मा उर्फ बंटी

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनावेदकगण : दिनेश देवांगन एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश सुनाए जाने हेतु दिनांक 12/08/2009 को सूचीबद्ध करें

सही/-

एन.के.अग्रवाल न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 21/2009

आवेदक : दीपक शर्मा उर्फ बंटी, पिता स्व. मोहन प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 853, गया नगर, वार्ड नं. 4, तहसील व जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

अनावेदकगण

1. दिनेश देवांगन, निवासी गया नगर, वार्ड नं. 5, गया बाई धर्मशाला के पास, दुर्ग
2. (छत्तीसगढ़)
   उमाकांत गुप्ता, निवासी वार्ड नं. 4 गया
3. नगर, दुर्ग, मकान नं. 700, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
   कमलनारायण सिन्हा उर्फ बनारसी
4. मिठाईवाला, निवासी गया नगर, मुक्तिधाम, वार्ड नं. 4, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
   तुलाराम उर्फ बाबा सिन्हा, निवासी गया
5. नगर, देवांगन धर्मशाला के पास, वार्ड

नं. 4, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

6. दिनेश गुप्ता, निवासी गया नगर, मानस मंदिर के पास, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

7. नितेश देशमुख, निवासी गया नगर, संतोषीजी मंदिर के, पीछे दुर्ग

8. (छत्तीसगढ़)

बलराम यादव, निवासी गया नगर, वार्ड

9. नं. 5, गया बाई धर्मशाला के पास, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

10 डॉ. मोतीलाल सिन्हा, निवासी गया

. नगर, मानस मंदिर के पास, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

रोशन सोनी, निवासी गया नगर,

11. देवांगन धर्मशाला के पास, वार्ड नं. 4, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

12 लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा उर्फ लल्लू, निवासी

. मानस मंदिर के पास, प्रभात गणेश चौक, गया नगर, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

13 शिवकुमार सिन्हा, निवासी वार्ड नं. 3,

. गया नगर, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

पंजीकरण अधिकारी, नगर पालिका निगम, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

निर्वाचन अधिकारी, श्री जवाहर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्रीवास्तव, नगर पालिका निगम, दुर्ग

(छत्तीसगढ़)

सिविल पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 441-च छ.ग. नगरपालिका निगम अधिनियम,1956

(एकल पीठः माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

उपस्थितः श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री धीरज वानखेड़े अधिवक्ता, आवेदक के लिए।

श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता, के साथ श्री सौरभ शर्मा अधिवक्ता, अनावेदक क्र.1 के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(12 अगस्त, 2009 को पारित)

इस आदेश द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा की गई प्रारंभिक आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।

2. यह पुनरीक्षण जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा एम.जे.सी. (चुनाव याचिका) क्रमांक 15/2005 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत चुनाव याचिका को परिसीमा बाह्य होने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

3. पुनरीक्षण की ग्राह्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक ने दिनांक 22.07.2008 को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 सहपठित धारा 14 के अंतर्गत विलंब क्षमा हेतु आवेदन के साथ यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था। हालाँकि, दिनांक 27.08.2008 को 250/- रुपये की राशि प्रतिभूति के रूप में निक्षेपित करने की अनुमति माँगी गई, जो इस न्यायालय द्वारा प्रदान कर दी गई और उसके बाद, उक्त राशि दिनांक 04.09.2008 को निक्षेपित कर दी गई।

4. अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम (निर्वाचन याचिका) नियम, 1963 (संक्षेप में 'नियम 1963') के नियम 19(2) के तहत आवेदक को पुनरीक्षण के साथ पुनरीक्षण के व्यय के लिए प्रतिभूति के रूप में 250/- रुपए की राशि उच्च न्यायालय में जमा करना आवश्यक है और यह नियम प्रकृति में आज्ञापक होने के कारण इसका पालन न करना पुनरीक्षण के लिए घातक है और जैसा कि उक्त पुनरीक्षण के साथ राशि जमा नहीं की गई है, इसलिए इस आधार पर पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. श्री संजय के. अग्रवाल, अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने ***राधेश्याम नंद लाल जी विरुद्ध जगदीश गंगा राम;*** **1995 एम.पी.एल.जे. 909** में प्रकाशित किए गए, ***बाबू लाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य;*** **1986 एम.पी.एल.जे. 128** में प्रकाशित किए गए, और ***संतोषी विरुद्ध अपर कलेक्टर, कोरबा;*** **2008 (4) एम.पी.एच.टी. 20** में प्रकाशित किए गए प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए तर्क दिया कि नियम 1963 के नियम 19(2) का

अनुपालन आज्ञापक है, और इसलिए, पुनरीक्षण निरस्त किए जाने योग्य है। उन्होंने आगे तर्क किया कि ***भारती बॉथम विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य;*** **(2006) 3 एम.पी.एल.जे. 487** में अभिनिर्धारित किया है कि नियम 1963 के नियम 19(2) में पुनरीक्षण की व्यय के लिए 250/- रुपये निक्षेपित करने का प्रावधान है जो कि प्राधिकार के अधीन है।

6. इसके विपरीत, आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल ने तर्क दिया कि मुख्य अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आवेदक को पुनरीक्षण प्रस्तुत करते समय ऐसी राशि निक्षेपित करने की आवश्यकता बताता हो, इसलिए नियम 1963 का नियम 19(2), अधिनियम के साथ असंगत नहीं है और इसे अनदेखा किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय की अनुमति से 250/- रुपये की राशि निक्षेपित कर दी गई है, और इसलिए, यदि कोई चूक हुई है, तो उसे सुधार लिया गया है और अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रकरण में निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता है:

(I) क्या नियम 1963 के नियम 19(2) के अन्तर्गत पुनरीक्षण आवेदन के साथ 250/- रूपये निक्षेपित कराने की आवश्यकता आज्ञापक प्रकृति की है तथा इसका अनुपालन न करना घातक है।

(II) क्या नियम 1963 का नियम 19(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 441-च में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(III) क्या आवेदक को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने के बाद अगली तारीख में उक्त प्रतिभूति निक्षेपित करने की अनुमति दी जा सकती है?

पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत संशोधित तर्कों का विश्लेषण करने के लिए, अधिनियम और नियमों के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना उचित है।

8. धारा 441-च (2) न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण का उपचार प्रदान करती है, जिसे ऐसे निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 441(ग) के साथ धारा 433 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर निगम (चुनाव याचिका) नियम, 1963 के नाम से नियम बनाए। नियम 1963 का नियम 19(2) इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"नियम19(1).

.....

नियम 19(2) न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध धारा 441-च की उपधारा (2) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु याचिका प्रस्तुत करते समय, याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण व्यय हेतु प्रतिभूति के रूप में उच्च न्यायालय में 250/- रुपये निक्षेपित करने होंगे। यदि नियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय याचिका को निरस्त कर देगा।"

9. धारा 441 (3) इस प्रकार है:-

"(3) उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत कोई याचिका तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि:-

(i) यह उस तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, जिसको ऐसे चुनाव या [नामांकन] का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किया गया था; और

(ii) इसके साथ शासकीय कोषालय की रसीद संलग्न है जिसमें दो सौ पचास रुपये की निक्षेपित राशि दर्शाई गई है।"

10. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 117 में लिखा है:

"117. खर्चे के लिए प्रतिभूति. (i) चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय, याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार याचिका के खर्चे के लिए प्रतिभूति के रूप में दो हजार रुपए की धनराशि उच्च न्यायालय में निक्षेपित करेगा।

(2) चुनाव याचिका के विचारण के दौरान, उच्च न्यायालय किसी भी समय याचिकाकर्ता से लागत के लिए ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देने का आह्वान कर सकता है, जैसा कि वह निर्देश दे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. छत्तीसगढ़ पंचायत नियम 7 एवं 8 (निर्वाचन याचिकाएं, भ्रष्ट आचरण एवं सदस्यता हेतु निरर्हता) नियम, 1995 (संक्षेप में "नियम 1995") इस प्रकार है:

"7. **प्रतिभूति जमा करना** - चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय, याचिकाकर्ता निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष पांच सौ रुपये की राशि प्रतिभूति के रूप में जमा

करेगा। जहां एक से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव पर प्रश्न उठाया जाता है, वहां प्रत्येक निर्वाचित उम्मीदवार के संबंध में उसी समान राशि पृथक से जमा किए जाने की आवश्यकता होगी।

8. **याचिका प्राप्त करने की प्रक्रिया** - यदि नियम 3 या नियम 4 या नियम 7 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो याचिका को निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा:

परंतु कि इस नियम के अंतर्गत याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना याचिका निरस्त नहीं की जाएगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. नियम, 1963 के नियम 19(2) को पढ़ने से पता चलता है कि यह नियम अधिनियम, 1951 की धारा 117(i) और नियम, 1995 के नियम 7 और 8 के समरूप विधियां है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***के. कामराजा नादर विरुद्ध कुंजू थेवर,*** **ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 687 (698)** के प्रकरण में पाया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 117 के प्रावधानों के अनुपालन न करने के संबंध में आपत्ति पर प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में विचार किया जाना चाहिए और निर्णय दिया जाना चाहिए।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***एलटेमेश रीन विरुद्ध चंदूलाल चंद्राकर एवं अन्य;*** **ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1199(1200)** में प्रकाशित किए गए के प्रकरण में यह पाया कि चुनाव याचिका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 117

का अनुपालन न करने के कारण अधिनियम की धारा 86(1) के तहत निरस्त किए जाने योग्य है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***चरनलाल विरुद्ध नंद किशोर;*** **ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 1264** में प्रकाशित प्रकरण में पाया कि धारा 117 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत याचिका के साथ प्रतिभूति निक्षेपित नहीं किए जाने पर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. ***एम. करुणानिधि विरुद्ध एच.वी. हांडा एवं अन्य;*** **(1983) 2 एस.सी.सी. 473** में प्रकाशित प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 19 में अवधारित किया है:

> "19. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार नहीं की जा सकतीं क्योंकि वे इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि धारा 117 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जमा करने की आवश्यकता और उसे जमा करने के ढंग के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर काफी जोर दिया गया था कि धारा 117 की उप-धारा (1) को दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, एक भाग को आज्ञापक और दूसरे को निदेशक के रूप में माना जाता है। यह तर्क पूर्णरूप से गलत है और वास्तव में इस न्यायालय के कई निर्णयों के विपरीत है। किसी विधि के आज्ञापक और निदेशक प्रावधानों के बीच अंतर को ध्यान में रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। धारा 117 की उप-धारा (1) दो भागों में है।

धारा 117 की उप-धारा (1) के प्रथम भाग के अनुसार चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय याचिका की लागत के लिए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष 2000 रुपये की प्रतिभूति राशि याचिका के लागत हेतु जमा करनी होगी, और द्वितीय भाग यह है कि यह राशि उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार उच्च न्यायालय में जमा की जाएगी। उच्च न्यायालय में 2000 रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता आज्ञापक है, जिसका पालन न करने पर अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के अंतर्गत चुनाव याचिका को समय रहते निरस्त कर दिया जाएगा।"

17. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने ***बाबूलाल कालूराम किरार एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य;*** **1986 एम.पी.एल.जे. 128** में प्रकाशित प्रकरण में मध्य प्रदेश पंचायत (चुनाव याचिका, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1962 (संक्षेप में "नियम, 1962"), के नियम 7 और 8 के लिए कंडिका 10.01 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"10.01. नियम 7 को साधारण रूप से पढ़ने पर, सुरक्षा राशि जमा करने की आवश्यकता याचिका के साथ ही है। नियम 7 में "चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय" उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, याचिका के साथ सुरक्षा राशि जमा करने की आवश्यकता याचिका प्रस्तुत करने की श्रृंखला में एक आवश्यक कड़ी है। इसलिए, यदि यह कड़ी अनुपस्थित है, तो याचिका का वैध प्रस्तुतीकरण नहीं है। न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार तभी होता है जब उसके समक्ष याचिका वैध रूप से प्रस्तुत हो।"

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राजशेखर गोगोई विरुद्ध असम राज्य एवं अन्य;*** **(2001) 6 एस.सी.सी. 46** में प्रकाशित प्रकरण में अवधारित किया है कि जब भी कोई विधि यह निर्धारित करता है कि किसी विशेष कार्य को एक विशेष ढंग से किया जाना है और यह भी निर्धारित करता है कि उक्त आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता एक विशिष्ट परिणाम की ओर ले जाती है, तो यह मानना कठिन होगा कि आवश्यकता आज्ञापक नहीं है, और निर्दिष्ट परिणाम का पालन नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 26 (2) के मध्य प्रदेश नगर पालिका (चुनाव याचिका) नियम, 1962; नियम 19 में निहित समान प्रावधान पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ***राधेश्याम नंदलालजी पाटीदार विरुद्ध जगदीश गंगाराम पाटीदार एवं अन्य;*** **1995 एम.पी.एल.जे.909** में प्रकाशित प्रकरण में यह अवधारित किया है कि नियम आज्ञापक है, ऐसे याचिकाकर्ता के लिए इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते समय 250/- रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करना आज्ञापक है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसका एक मात्र परिणाम याचिका को निरस्त करना होगा। इस न्यायालय की एकल पीठ ने ***श्रीमती संतोषी विरुद्ध अतिरिक्त कलेक्टर, कोरबा एवं अन्य;*** **(2008) 4 एम.पी.एच.टी. 20 (सी.जी.)** में प्रकाशित प्रकरण में छत्तीसगढ़ पंचायत (चुनाव याचिका, भ्रष्ट आचरण एवं सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995 के नियम 7 एवं 8 पर कार्यवाही करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि चुनाव याचिका के साथ प्रतिभूति राशि जमा न करना घातक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इसलिए, उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों में निर्धारित विधि के सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए, मेरा मत है कि नियम 1963 के नियम 19(2) में निहित प्रावधान

आज्ञापक प्रकृति हैं और इसका अनुपालन न करना आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण के लिए घातक है।

20. चुनाव याचिका पर विचार करते समय इस संबंध में विधि की कठोरता से निर्वचन की जानी चाहिए। ***सदाशिव एन. पाटिल विरुद्ध विट्ठल डी. टेके एवं अन्य;*** **(2000) 8 एससीसी 82** में प्रकाशित किए गए प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 14 में निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया है:

> "14. अधिनियम के तहत निरहर्ता के संबंध में निष्कर्ष का प्रभाव किसी व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकरण के गठन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार चुनावों में उसकी जीत के बाद उसके द्वारा धारित निर्वाचित पद से हटाने का होता है। इसके परिणाम न केवल एक व्यक्ति के रूप में उसके लिए बल्कि उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी हानिकारक होते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व उसके अयोग्य घोषित किए जाने के कारण समाप्त हो जाएगा। एक निर्वाचित पार्षद के अयोग्य होने से उत्पन्न होने वाले दंडात्मक परिणामों और स्थानीय निकाय के कामकाज पर इसके प्रभाव के साथ-साथ स्थानीय निकाय द्वारा शासित शहर या टाउनशिप को देखते हुए प्रावधानों की कठोरता से निर्वचन की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत संदर्भ पर कार्यवाही करते समय अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 441(iii) और छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

बनाए गए नियम 1963 के नियम 19(2) में निहित प्रावधानों के साधारण रूप से अवलोकन करने से ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि बनाए गए नियम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। नगरपालिका निगम (चुनाव याचिका) नियम, 1963 के नियम 19(2) की वैधता पर विचार करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक अवसर आया था। ***भारती बाथम विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य;*** के प्रकरण में, जिसे **2006 (3) एम.पी.एल.जे. 487** में प्रकाशित किया गया था में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने कंडिका 21 में निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. श्री शर्मा का तर्क है कि अधिनियम में पुनरीक्षण की लागत के लिए प्रतिभूति जमा के लिए नियम बनाने का प्रावधान नहीं है। उनका तर्क है कि संबंधित नियम अधिनियम से नहीं निकला है और वास्तव में यह एक प्रतिस्थापन है। अधिनियम के अवलोकन से हमें ऐसा कोई प्रावधान नज़र नहीं आता जिसके विरुद्ध वर्तमान नियम लागू हो। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कुछ विशिष्ट पहलुओं को सूचीबद्ध करने के कारण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हमें नहीं लगता कि उक्त प्रावधान का उपयोग अधिनियम के सामान्य संचालन के दायरे का विस्तार करने के लिए किया गया है। यह ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा अधिनियम में जिन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें नियमों में शामिल किया गया हो। विधि धारा 441-च के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है, नियम 19(2) केवल पुनरीक्षण की लागत के लिए प्रतिभूति जमा करने का प्रावधान करता है। ऐसा प्रावधान विधि के प्रावधानों के विपरीत नहीं है। इसके पीछे एक उद्देश्य है जिसका विधि से संबंध है। एक तरह से, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है

कि तुच्छ पुनरीक्षण प्रस्तुत न हो। यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए यह अनावश्यक है। यह कहना अत्यंत कठिन है कि उक्त शर्त अधिनियम से असंगत है। निस्संदेह ऐसी शर्त, एक अपेक्षित अभिधारणा, उस शक्ति के दायरे और विस्तार के भीतर अभिधारण की जा सकती है जो अधिनियम की धारा 433 के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसलिए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि नियम का नियम 19(2) प्राधिकार के अधीन है।"

22. मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उपर्युक्त संदर्भित कथन से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ और इसलिए यह कहना सही नहीं है कि नियम 1963 के नियम 19(2) के प्रावधान छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण अनदेखा किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. तीसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या आवेदक को पुनरीक्षण याचिका दायर करने के बाद की तारीख पर उक्त प्रतिभूति राशि जमा करने की अनुमति दी जा सकती है?

24. यह पूर्णतया स्पष्ट है कि नियम 1963 के नियम 19(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को याचिका प्रस्तुत करते समय ही 250/- रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी, उसके बाद नहीं। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रावधान आज्ञापक प्रकृति के हैं और इनका पालन न करना घातक है। इसलिए, यदि प्रतिभूति राशि जमा किए बिना पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है, तो यह पुनरीक्षण याचिका के लिए घातक है और पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने के बाद

की दिनांक पर इसे जमा करके दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***चंद्रकांत उत्तम चोडनकर विरुद्ध दयानंद रायु मंडराकर एवं अन्य;*** के प्रकरण में, जो कि **(2005) 2 एससीसी 188** में प्रकाशित किया गया है, के कंडिका 68 में निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया है:

"68. च. सुब्बाराव विरुद्ध सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण; ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1027: (1964) 6 ए.सी.आर. 213 में, संवैधानिक पीठ ने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के इस आशय के निवेदन को स्वीकार कर लिया कि चुनाव याचिका को विधि या प्राथमिकता में चुनाव के बराबर नहीं माना जाना चाहिए, परंतु चूंकि अधिकार पूरी तरह से विधि द्वारा बनाए गए हैं, यदि विधि किसी विशेष आवश्यकता को आज्ञापक बनाता है, तो न्यायालयों के पास अनुपालन नहीं करने को क्षमा करने की कोई छूट नहीं है और वे इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मुरारका राधे श्याम मामले के बाद संविधान पीठ ने कहा: (ए.आई.आर. पी.पी. 1033-34, पैरा 26)।"

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"हालांकि, हमारा मानना है कि इस प्रावधान की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन हुआ है या नहीं, यह देखने के लिए वास्तव में इतने अधिक परिशोधन की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रतियों पर अब पाए गए हस्ताक्षर उस दस्तावेज़ को प्रमाणित करने के लिए थे जिससे वे संलग्न हैं, अर्थात प्रतिलिपि, तो इसका अर्थ केवल यही होगा कि प्रतिलिपि में मूल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत नहीं है। यह मानने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है कि हस्ताक्षर केवल मूल पर मौजूद हस्ताक्षरों की प्रतिलिपि होने के लिए थे ताकि धारा 81(3) का अनुपालन न होने का संकेत दिया जा सके, क्योंकि

प्रतिलिपि पर मूल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं थी और हस्ताक्षरकर्ता के नाम की प्रतिलिपि बनाना ही पर्याप्त होगा।"

25. इस प्रकरण के तथ्यों में उपरोक्त उल्लिखित प्रकरणों के विधिक सिद्धांतों को निर्विवाद रूप से लागू करते हुए, विलंब क्षमा हेतु आवेदन के साथ यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है। इसका अर्थ यह है कि विधि के अंतर्गत निर्धारित पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने की परिसीमा समाप्त हो गई है और वह भी पुनरीक्षण याचिका के साथ अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा किए बिना, जिसे बाद में उक्त राशि जमा करके ठीक नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. प्रकरण को दूसरे प्रकार से भी देखा जा सकता है, ऐसा प्रकरण हो सकता है जिसमें पुनरीक्षण याचिका के साथ राशि जमा नहीं की गई हो परंतु बाद में जमा की गई परंतु परिसीमा की समाप्ति से पहले किया गया था, तो यह कहा जा सकता था कि याचिका घातक दोष से ग्रस्त नहीं है, परंतु यहां इस प्रकरण में, आवश्यक राशि जमा किए बिना विलंब क्षमा के लिए आवेदन के साथ पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है और इसलिए, अनुपालन न करना घातक है।

27. अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा तदनुसार पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

28. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu